आवासन विभाग

शुद्धि पत्र

दिनांक 26 दिसम्बर, 1983

सं० 6/3/82 Iआवास.—हरियाणा राजपत्र भाग I दिनांक 6 दिसम्बर, 1983 में प्रकाशित, हरियाणा सरकार आवासन विभाग, अधिसूचना सं० 6/3/82-1 आवास, दिनांक 24 अक्तूबर, 1983 में :—

1 खसरा नम्बरों का विवरण "खसरा नं०" शीर्षक के नीचे पढ़ा जाये "एकड़" शीर्षक के नीचे नहीं ।

2 खसरा नं० 7/2 के सामने "मरला" शीर्षक के नीचे '2' के स्थान पर '12' पढ़ा जाए ।

अशोक पाहवा,

सचिव, हरियाणा सरकार,
आवास विभाग ।

HOUSING DEPARTMENT

CORRIGENDUM

The 26th December, 1983

No. 6/3/82-1Hg.—In Haryana Government, Housing Department notification No. 6/3/82-1Hg, dated the 24th October, 1983 published in *Haryana Government Gazette*, dated the 6th December, 1983, in the specification :—

(i) in the headings, *for* "Khasra Acres" on pages Nos. 2016, 2017 and 2018 read "Khasra"; Nos. Nos.

(ii) under the column "Khasra No." *for* "32/2" *read* "23/2" ;

(iii) against Khasra No. "3/1/2/3" under the column "Marlas" *for* "6", *read* "16".

ASHOK PAHWA,

Secretary to Government, Haryana,
Housing Department.

आवास विभाग

दिनांक 29 दिसम्बर 1983/25 जनवरी, 1984

सं० 6/12/83-1एच.जी.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि सरकार द्वारा सरकारी खर्च पर सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् फतेहाबाद (जिला हिसार) में आवासीय बस्ती के निर्माण के लिए अर्जित किये जाने की सम्भावना है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित परिक्षेत्र में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

इसलिए यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894, की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध हो ।

उपर्युक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इस समय कार्य में लगे अधिकारियों को उनके सेवकों तथा कर्मचारी सहित परिक्षेत्र में इस भूमि पर प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा के द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात अन्य सभी कार्य करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं।

कोई हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उनके परिक्षेत्र में किसी भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के तीस दिन के भीतर उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवं भूमि अर्जन कलैक्टर, फतेहाबाद के सम्मुख लिखित आक्षेप दायर कर सकता है ।

भूमि के नक्शों का निरीक्षण उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवं भूमि अर्जन कलैक्टर, फतेहाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है।

विशिष्टियां

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं०	क्षेत्रफल कनाल व मरला में
हिसार	फतेहाबाद	फतेहाबाद	149/8	8—0
			149/9/1	0—19
			149/9/2	2—13
			149/11/2	2—8
			149/12	7—18
			149/13	8—00
			149/20	7—14
			149/21	8—00
			150/25	10—0
				55–12

अशोक पाहवा,

सचिव, हरियाणा सरकार
आवास विभाग।

HOUSING DEPARTMENT

The 29th December, 1983

No. 6/12/83-1HG.—Whereas it appears to the Governor of Haryana that the land specified below is likely to be needed by the Government, at public expense, for a public purpose, namely, for the construction of Housing Colony at Fatehabad, district Hissar, it is hereby notified that the land in the locality described below is needed for the above purpose.

This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894, for the information of all to whom it may concern.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Governor of Haryana hereby authorises the officers with their servants and workmen, for the time being engaged in the undertaking, to enter upon and survey any land in the locality and do all other acts required or permitted by that section.

Any person interested who has any objection to the acquisition of the land in the locality may file an objection, if any, in writing, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official gazette before the Sub-Divisional Officer (Civil)-cum-Land Acquisition Collector, Fetehabad.

The plan of the land may be inspected in the office of the Sub-Divisional Officer (Civil)-cum-Land Acquisition Collector, Fatehabad.

SPECIFICATION

District	Tehsil	Village	Khasra No.	Area in Kanals and Marlas
1	2	3	4	5
Hissar	Fatehabad	Fatehabad	149/8	8—0
			149/9/1	0—19
			149/9/2	2—13
			149/11/2	2—8
			149/12	7—18
			149/13	8—00
			149/20	7—14
			149/21	8—00
			150/25	10—00
				55—12

ASHOK PAHWA,

Secretary to Government, Haryana,
Housing Department.

IRRIGATION AND POWER DEPARTMENT

The 6th January, 1984

No. 56/Drainage/3-L.—Whereas it appears to the Government of Haryana that land specified below is needed by the Government at the public expense, namely, for constructing Jagmalera Drain from R.D. 0 to 6000 with Pump House Outfall R.D. 83000 Right Side D/S Ottu Weir of River Ghaggar in Village Harni Khurd and Shri Jiwan Nagar, Tehsil Sirsa, District Sirsa.

It is hereby notified that land in the locality described below is required for the above purpose.

This notification is made under the provision of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 for information of all to whom it may be concerned. And whereas the Governor of Haryana is further of the opinion that the purpose for which the land is required is of an urgent importance within the meaning of the clause (c) of sub-section (2) of Section 17 of the said Act that the provision of section (5)A of the said Act shall not apply in regard to this acquisition.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Government of Haryana hereby authorise the officers of the Irrigation Deptt. with their servants and workmen for the time being engaged in the undertaking, enter upon and survey the land in the locality and do all other acts required or permitted by that section.

Any person interested who has any objection to the acquisition of any land in the locality may within a period of thirty days of the publication of this notification, file objection in writing before the Land Acquisition Collector, P.W.D. (I.B.) Haryana Karnal.

Plans of the land may be inspacted in the office of the Land Acquisition Collector, P.W.D. (I.B.), Haryana, Karnal and Executive Engineer, Drainage Division, Sirsa.

SPECIFICATION

Sr. No.	District	Tehsil	Village	Hadbast No.	Area in acres	Boundary/Kharsa No.
1.	Sirsa	Sirsa	Harni Khurd	123	5·08	$\frac{19}{12,\ 18,\ 19,\ 22,\ 23}$, $\frac{38}{2,\ 3,\ 8,\ 9,\ 12}$, $\frac{38}{13,\ 18,\ 19/1\ 19/2,\ 22,\ 23}$, $\frac{41}{2,\ 3,\ 8/2,\ 12,\ 13,\ 18,\ 19,\ 22,\ 23,\ 9}$, $\frac{61}{2,\ 3,\ 8,\ 9,\ 12,\ 13,\ 18/1,\ 18/2,\ 19,\ 22,\ 23/1,\ 23/2}$, $\frac{64}{2,\ 3,\ 8,\ 9,\ 12,\ 13,\ 18,\ 19/1,\ 19/2,\ 22/3,\ 23}$, $\frac{84}{2/1,\ 3/2}$, 122, 405, 406
2.	Sirsa	Sirsa	Sh. Jiwan Nagar	124 126 and 127	1·24	$\frac{283}{22,\ 23}$. $\frac{326}{2,\ 3,\ 8,\ 9,\ 12,\ 13,\ 18,\ 19,\ 22,\ 23}$, $\frac{330}{2,\ 3,\ 8,\ 9,\ 12,\ 13}$.

By the Order of the Governor of Haryana.

H. C. KAUSHIK,

Superintending Engineer,
Hissar Drainage Circle,
Hissar.

श्रम विभाग

दिनांक 20 जनवरी, 1984

सं. जो.वि./एफ.डी./321-83/3520.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल, की राय है कि मै. हिंदुस्थान वैकुयम ग्लास लि० एन.आई.टी., फरीदाबाद के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि राज्यपाल हरियाणा इसविवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम को धारा 7(क) के अधीन गठित

औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामले हैं, अथवा विवाद से संगत या सम्बन्धित मामले हैं, न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

1. क्या श्रमिक वर्ष 1982–83 का 20 प्रतिशत की दर से बोनस के हकदार हैं ? यदि हैं, तो किस विवरण में ?
2. क्या श्रमिकों को इन्सेंन्टिव रैट दुगुनी दर से दिया जाए ? यदि हां तो किस विवरण में ?
3. क्या श्रमिकों को डी०ए० 40 रुपए की बजाए 100 रुपये दिया जाए ? यदि हां, तो किस विवरण में ?

सं.ओ.वि./रोहतक/69-83/3527.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल, की राय है कि मै० मालू एण्ड कम्पनी मार्फत एस.पी.एल. कसार, बहादुरगढ़ (रोहतक) के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि राज्यपाल, हरियाणा इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामले हैं, अथवा विवाद से संगत या सम्बन्धित मामले हैं, न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं:—

1. क्या श्रमिकों को हाजरी कार्ड दिया जाये ? यदि हां, तो किस विवरण में ?
2. क्या श्रमिक वर्ष 1979–80 तथा 1980–81 का 20 प्रतिशत की दर से बोनस के हकदार हैं ? यदि हैं तो किस विवरण में ?

मुनीश गुप्ता,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग।

दिनांक 20 जनवरी, 1984

सं.ओ.वि.सोनीपत/58–83/3486.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. हरियाणा कृषि उद्योग निगम सीमित, एच.सी.ओ. नम्बर 825–26, सैक्टर 22–ए चण्डीगढ़, के श्रमिक श्री बचन सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641–1–श्रम–70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864–ए.एस.ओ. (ई) श्रम–70/13648, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री बचन सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./एफ.डी./207-83/3493.—चूंकि राज्यपाल, हरियाणा की राय है कि मै० नवतारा कम्पनी, सैक्टर–25, बल्लबगढ़ फरीदाबाद, के श्रमिक श्री मोहम्मद इसामूल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7(क) के अधीन औद्योगिक

अधिकरण, हरियाणा फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या इससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं,

क्या श्री मोहम्मद इसामूल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 23 जनवरी, 1984

सं. ओ.वि./सोनीपत/230-83/3819.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैसर्ज गोल्डाई हाईसैक्स फाम प्रा० लि०, बेगा (गन्नौर), सोनीपत के श्रमिक श्री सुरेश गिरी तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम-70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं० 3864-ए.एस.ओ.(ई)श्रम-70/13648, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री सुरेश गिरी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./सोनीपत/239-83/3826.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. गोल्डाई हाईसैक्स फार्म प्रा० लि०, बेगा (गन्नौर), सोनीपत के श्रमिक श्री चरण सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम-70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं० 3864-ए.एस.ओ.(ई) श्रम-70/13648, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री चरण सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

वी० एस० चौधरी,

उप सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

11682 CS (H)—Govt. Press, U.T. Chd.